

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या 1/प्रा0आर0-0-3-31/14.1418/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-17/4/15

अधिसूचना

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33-4/2015-NDM-1 दिनांक 20.03.2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को रेखांकित करते हुए राज्य की विशेष स्थानीय-प्रकृति की आपदाओं से पीड़ितों को तुरन्त राहत पहुंचाने में होने वाले व्यय के संबंध में दिशा-निर्देशों को ज्ञापित किया गया है। पत्र द्वारा भारत सरकार की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं होने वाली राज्य की विशिष्ट प्रकृति की आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में SDRF (राज्य आपदा रिस्पांस फंड) के तहत उपलब्ध राशि के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत व्यय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए राज्य कार्यकारिणी समिति से राज्य की विशिष्ट आपदाओं की सूची, उनके मानदर और इन आपदाओं से पीड़ितों के चयन की प्रक्रिया का अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत कराने का निदेश दिया गया है।

2. राज्य में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा) नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित आपदाएं यथा- सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाएं विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में जानोमाल की क्षति होती है।

3. दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/ गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा- सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्र की तिथि दिनांक 20.03.15 एवं उसके पश्चात कंडिका 3 में अंकित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं (Local Disaster) के घटित होने की दशा में कारण होने वाली क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/ अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../14/8/आ0प्र0

पटना-15, दिनांक- 12/4/15

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

21/4  
प्रधान सचिव